

प्रत्येक योजना के लिए इसी सरल आवेदक पत्र का प्रयोग करें
(योजना का नाम जिसमें आवेदन किया जा रहा हैं)

1. हिताधिकारी का नाम
2. पिता / पति का नाम
3. जन्मतिथि में आयु (दिन / माह / वर्ष)..... आयु(वर्षों में).....
4. पता (i) मकान संख्या (ii) मोहल्ला / गांव
(iii) ग्राम पंचायत(ग्रामीण क्षेत्र) / वार्ड संख्या (शहरी क्षेत्र).....
(iv) ब्लॉक / शहर (v) जिला
5. हिताधिकारी द्वारा किया जाने वाल कार्यः—
(बलेदारी / मिस्त्री / बिजली का कार्य / नल का कार्य आदि)
6. हिताधिकारी से सम्बन्धित अन्य जानकारी—
 - 6.1 भामाशाह कार्ड / नामाकंन संख्या
 - 6.2 आधार कार्ड संख्या 6.3 मोबाईल नम्बर
 - 6.4 हिताधिकारी पंजीयन क्रमांक व पंजीयन तिथि
 - 6.5 अंतिम बार अंशदान जमा कराने की तिथि
 - 6.6 पंजीयन अधिकारी का पदनाम व स्थान
- 6.7 हिताधिकारी के बैंक खाते का विवरणः—
 - (i)बैंक का नाम (ii) बैंक की शाखा का नाम
 - (iii) खाता संख्या (iv) बैंक का आईएफएससी.कोड

(यदि हिताधिकारी के नामित द्वारा आवेदन किया जा रहा है तो नामित का आधार कार्ड / नामाकंन तथा बैंक खाता विवरण अंकित करें।)
7. यदि पति—पत्नी दोनो हिताधिकारी हैं, तो पत्नि / पति के सम्बन्ध में जानकारी—
 - 7.1 हिताधिकारी (पत्नि / पति) का नाम
 - 7.2 पंजीयन क्रमांक व पंजीयन तिथि

हिताधिकारी की पासपोर्ट साइज की फोटों चिपकाए

आवेदक प्रस्तूत करने की तिथि

हिताधिकारी के हस्ताक्षर / अंगुठा निशानी

निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना हेतु हिताधिकारी की घोषणा

हिताधिकारी का फोटों

मैं (हिताधिकारी का नाम) पुत्र/पुत्री
 (पिता/पति का नाम) घोषणा करता हूं कि(छात्र का नाम) जिसकी फोटो साथ में लगाई है,
 मेरा पुत्र/पुत्री/पत्नी है। उसने शैक्षणिक वर्ष में कक्षा की परिक्षा स्कूल/कॉलेज
 (शिक्षण संस्था का नाम व पता)
 से श्रेणी/ग्रेड में पढ़ रहा है।
 (यदि 12 वीं कक्षा या पाठ्यक्रम की अन्तिम परिक्षा उत्तीर्ण कर आगे प्रवेश नहीं लिया हो तो स्पष्ट अंकित करें)

मैं यह घोषणा करता हूं कि मेरे द्वारा आवेदन में दिया गया समस्त विवरण सत्य है तथा विवरण मिथ्या पायें जाने पर मैं योजना में प्राप्त होने वाली राशि लौटाने के लिए बाध्य रहूंगा।

हस्ताक्षर अधिकारी

शैक्षणिक संस्था के प्रमुख का प्रमाण—पत्र
 (उस संस्था के प्रमुख द्वारा भरा जाये यहाँ छात्र/छात्रा पढ़ रहा हो या अन्तिम बार अध्ययनरत रहा हों)

प्रमाणित किया जाता है कि (छात्र/छात्रा का नाम)
 पुत्र/पुत्री/पत्नी(पिता/पति का नाम) इस शैक्षणिक संस्था में कक्षा/पाठ्यक्रम
 के वर्ष में नियमित रूप से अध्ययनरत हैं। उसने उक्त कक्षा/पाठ्यक्रम इस संस्था से शैक्षणिक सन्
 में उत्तीर्ण की हैं।(जो लागू नहीं उसें काट दें) इस संस्था
 विश्वविद्यालय/बोर्ड से संबंद्ध हैं तथा केन्द्र या राज्य सरकार
 (मान्यता का अल्लेख करें) द्वारा मान्य प्राप्त हैं।

शैक्षणिक संस्थान का पता—

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर
 नम.....
 पदनाम (संस्था की मुहर सहित)

धोषणा—पत्र (अ)

(नियोजक / सम्पत्ति मालिक द्वारा)

1. मैं (नाम) पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
उम्र वर्ष निवासी (ग्राम पंचायत
/वार्ड /पंचायत समिति/नगर पालिका) जिला का रहने वाला हूं। मेरे
आधार नम्बर/भास्त्राह नम्बर एवं मोबाइल नम्बर हैं।
2. यह कि, मुझ धोषणाकर्ता ने वार्ड नम्बर गाम ग्राम पंचायत
पंचायत समिति/नगर पालिका वार्ड न0 तहसील जिला
में स्वयं के मकान/अन्य निर्माण कार्य करवाया हैं। धोषणाकर्ता के पास उक्त सम्पत्ति का मालिक हक हैं।
3. मेरे द्वारा रथानीय प्रशासन (पंचायत/शहरी निकाय) से अनुमति लिये जाने के उपरान्त उक्त निर्माण
करवाया गया हैं। मेरे द्वारा कुल वर्ग फुट निमाण का कार्य दिनांक से दिनांक
के मध्य कराया गया जिसके निमाण /नवीनीकरण में कुल अनुमानित रूपये की लागत
आई हैं। इस पर मेरे द्वारा निमाण सेस का भुगतान किया गया /देय नही हैं।
4. यह कि मुझ धोषणाकर्ता के मकान पर श्री/
श्रीमति पत्नी/ पुत्र निवासी
ने दिनांक से दिनांक तक कुल बेलदारी/मिस्त्री
का कार्य किया है।
5. यह है कि उपरोक्त श्रमिकों को बेलदारी/मिस्त्री का कार्य मेरे अधीन करने पर रूपये प्रतिदिन
के हिसाब से कार्य किया है। एवं उक्त श्रमिक का मेरे द्वारा पूर्ण भुगतान कर दिया गया हैं। वर्तमान मे
उक्त श्रमिक का कोई भुगतान बकाया नही हैं।
6. यह कि मेरे द्वारा दिया गया उल्लेखित समस्त विवरण/ निर्माण श्रमिक प्रमाणीकरण पूर्णत सही हैं।
प्रमाण —पत्र का विभागीय अधिकारीयों द्वारा जांच/मौका निरीक्षण के दौरान फर्जी/असत्य पाये जाने की
स्थिति में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत मेरे विरुद्ध की गई कार्यवाही
की मैं पूर्ण रूप से व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूं एवं कथित प्रमाण —पत्र के आधार पर प्रमाणित किये गये
श्रमिक द्वारा प्राप्त की गई हितलाभ की राशि की वसूली श्रमिकसे कराने हेतु मैं बाध्य रहूंगा।

हस्ताक्षर.....
(नियोजक / सम्पत्ति मालिक)

अंगुठे का निशान
(नियोजक / सम्पत्ति मालिक)

दिनांक / /

स्थान:

कार्यालय

अध्ययन प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा

पुत्र स्थानीय विद्यालय मे सत्र में कक्षा

नियमित रूप से अध्ययनरत है। छात्र ने सत्र में कक्षा उत्तीर्ण कर ली हैं। स्थानीय विद्यालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से सम्बद्ध है तथा राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त हैं। उक्त छात्र/छात्रा ने किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति के लिये आवेदन नहीं किया हैं। विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार छात्र की जन्मतिथि तथा एस. आर. नं. हैं।

प्रधानाध्यापक हस्ताक्षर
व मय सील